सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2013/00065 शिवसिंह/राजकुमार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कोलुआ)
पीठासीन अधिकारी –विनोदकुमार मीणा आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–27/2013

1–शिवसिह 2–शिवचरन पुत्रगण मनिका जाति जाटव निवासी लालपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा
3–नत्थो पुत्री मनिका पत्नी स्व0 रोशनालाल जाति जाटव निवासी मौहल्ला टीन का नगला ताजमहल के पीछे आगरा तहसील व जिला आगरा
4–बादामी पत्नी स्व0 गनेशी 5–विजयश्याम 6–दिनेश 7–महेश 8–विनोद पुत्रगण स्व0 गनेशी 9–शान्ती 10–मछला पुत्रीयांन स्व0 गनेशी समस्त जातिगण जाटव निवासीगण लालपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा
11–शकुन्तला पत्नी स्व0 मुकेश 12–रविन्द्र 13–भोला 14–शैलेन्द्र नावालिंग पुत्रगण स्व0 मुकेश जरिये सरपरस्ती वादमिय मॉ शकुन्तला
15–रेखा 16–बंदना 17–बबली नावालिंग पुत्रीयांन स्व मुकेश सरपरस्ती खुद मॉ शकुन्तला समस्त जातिगण जाटव निवासीगण लालपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा
——————वादीगण

बनाम

1–राजकुमार पुत्र श्यामलाल जाति वेडिया निवासी कोलुआ हाल आवाद मौहल्ला आनन्द नगर सैपऊ रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज0)
2–प्रभू पुत्र शोभराम जाति जाटव निवासी कोलुआ तहसील सैपऊ
3–अनारदेई पुत्री स्व0 वदनसिह 4–रिंकू 5–सतीस पुत्रगण स्व0 वदनसिह जातियांन जाटव निवासीगण कोलुआ तहसील सैपऊ
6–लीला पुत्री स्व0 वदनसिह पत्नी वैजनाथ 7–मीना पुत्री स्व0 वदनसिह पत्नी महेश जातिगण जाटव निवासीगण गुलावपुरा तहसील फतियावाद जिला आगरा
8–रीना पुत्री स्व0 वदनसिह पत्नी मुकेश 9–नीतू पुत्री स्व वदनसिह पत्नी मुरारी
10–सीमा पुत्री स्व0 वदनसिह पत्नी महेश जाति जाटव निवासीगण विन्तीपुरा उपतहसील मनियां तहसील व जिला धौलपुर
11–आशा 12–सुधा पुत्रीयांन स्व0 वदनसिह जातियान जाटव निवासी ग्राम कोलुआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
13–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–1–श्री प्रभू – (प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांक** : 05.06.2018

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 234, 702, वाके ग्राम कौलुआ तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक **21.06.2016** को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का प्रतिवादी प्रभू को अवलोकन कराया। दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन आदेशानुसार ही तैयार कर भिजवाये है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम कोलुआ तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-राजकुमार पुत्र श्यामलाल हि. 1/3 जाति बेडिया निवासी कोलुआ हाल आनन्दनगर सैपऊ रोड धौलपुर, प्रभू पुत्र शौभाराम हि. 1/3जाति जाटव निवासी कोलुआ, अनारदेई पत्नी स्व0 बदनसिह, रिन्कू, सतीश पुत्रांन स्व0 बदनसिह जाति जाटव निवासी कोलुआ व लीला, मीना स्व0 बदनसिह जाति जाटव निवासी गुलावपुरा तहसील फतियावाद जिला आगरा, रीना, नीतू, सीमा स्व0 बदनसिह जाति जाटव निवासी विन्तीपुरा उपतहसील मनियां, आशा, सुधा पुत्रीयांन स्व0 बदनसिह हि. 1/3 जाति जाटव निवासी कोलुआ तहसील सैपऊ

क्0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	234/1	0-17
	702/1	0-06
योग	2	1-03

2-शिवसिह, शिवचरन पुत्रांन व नत्थो पुत्री पिसरान मनिका हि. 3/4, बादामी पत्नी स्व गनेशी, विजयराम, दिनेश, महेश, विनोद पुत्रांन व मछला, शान्ति पिसरान गनेशी हि. 7/32, शकुन्तला पत्नी स्व0 मुकेश, रविन्द्र, भोला, शैलेन्द्र नाबा0 पुत्रांन रेखा, बन्दना,

[illegible] नाबा0 पुत्रीयान पिसरान मुकेश हि. 1/32 नाबा0 सरपरस्ती माता खुद शकुन्तला जाति जादव निवासी लालपुर तहसील खेरागढ

[illegible]	ख0नं0	रकवा
1	234/2	0—17
	702/1	0—05
योग	2	1—02

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने प्र पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र कोलुआ